तारीख हुक्म	
21-10-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषक [illegible] कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली स [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 16-12-21 पेश हों। प्रशासन गांव के संग अभियान में 3-12-2021 को मुख्यालय गुढ़ा [illegible] में पेश हो।
3-12-21	पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत मुख्यालय गुढ़ा [illegible] पर पेश हुई पक्षकार उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित जवाब जांच रिपोर्ट पेशकार साहब ली गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पक्षकार वादी को जाति मीना नहीं होकर कुम्हार होना बताया गया रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उप[illegible]
18 / दावा / 202[illegible]
दायरा दिनां[illegible]

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

18 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 05.02.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. रघुवीर आ0 भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

वादी

बनाम

1. चमेली बाई पत्नी भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. घनश्याम आ0 भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. सुनिता पुत्री भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. केलन्ताबाई पत्नी भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. सुमन पुत्री भरोष जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. महावीर नाबालिक पुत्र भरोष जरिये संरक्षक माता चमेलीबाई जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. हेमन्त कुमारी नाबालिक पुत्री भरोष जरिये संरक्षक माता चमेलीबाई जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 89, 89 एवं 53 आर0टी0एक्ट।
उपस्थित :— 1.एडवोकेट आरिफ अली (वादी)
2.एडवोकेट हेमराज मीणा (प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

—: निर्णय :— **दिनांकः —03.12.2021**

वादी द्वारा वादपत्र पेश कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खाता नई संख्या 88 पुरानी 84 के खसरा नं0 1053 रकबा 0.18 हैक्ट0, ख0नं0 1055 रकबा 0.04 हैक्ट0, ख0नं0 845 रकबा 0.23 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.45 हैक्ट0 ग्राम चहींचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति भरोष आ0 बदरी व गजानन्द आ0 बदरी, छोटी पत्नी बदरी,मोत्या पत्नी मांग्या के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में मांग्या आ0 गोविन्दा जाति कुम्हार की खातेदारी में दर्ज थी। मांग्या की मृत्यु से पूर्व ही मांग्या के एकमात्र वारिस पुत्र बदरी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण मांग्या की मृत्यु पश्चात मांग्या की पत्नी मोत्या व मृतक पुत्र बदरी के वारिस गजानन्द, भरोष, व बदरी की पत्नी छोटीबाई के नाम फौती नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। बदरी के वारिस गजानन्द आजीवन अविवाहित रहे। गजानन्द व भरोष एवं छोटी पत्नी बदरी व मोत्या सभी फौत हो चुके है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 उपरोक्त मृतक खातेदारान के एकमात्र वारिसान है। जिनका आज दिनांक तक फौती इतंकाल नही खुलने से वादी व वादी के परिजनों को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। वादी द्वारा कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी ली गई तो पता चला कि जमाबन्दी में वादी की जाति कुम्हार के स्थान पर मीणा दर्ज है। राजस्व अधिकारीयों को फौती नामान्तकरण दर्ज करने एवं राजस्व रिकार्ड जाति मीणा के स्थान पर कुम्हार दर्ज करने बाबत कई बार का प्रार्थना पत्र दिये गये। किन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। और अन्त में निवेदन किया गया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज सभी मृतक खातेदारान के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाकर जाति मीणा के स्थान पर कुम्हार दर्ज किये जाने की डिक्री फरमाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में पत्रावली को चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय शिविर गुहाटा में रखा गया। दौराने शिविर मुख्यालय पर ही मजमें आम भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ से जांच करवाई गई। भूमिधारी की ओर से प्रस्तुत जांच रिर्पोट के मुताबिक वाद वर्णित आराजी गजानन्द ,भरोष पिसरान बदरी ,छोटी पत्नी बदरी हिस्सा 1/2, मोत्या पत्नी मांग्या, हिस्सा 1/2 खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
बाछेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

दर्ज है एवं सभी की मृत्यु होना एवं मृतक मोत्या के वारिसान में पुत्र बदरी पुत्री रामकन्या व सीमा होना तथा मृतक गजानन्द का कुवांरा फौत होना बताया गया है। इसी प्रकार मृतक गजानन्द, भरोष पिता बदरी, छोटी पत्नी बदरी के वारिसान में 3 पुत्र घनश्याम,रघुवीर, महावीर पुत्रियां सुनिता, केलन्ताबाई,सुमन, हेमन्त कुमारी एवं पत्नी चमेलीबाई का होना बताया गया। उपरोक्त खातेदारान व उनके वारिसान की जाति मीणा नही होकर कुम्हार होना जाहिर किया है।

हमारे द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जांच रिर्पोट एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध भू-प्रबंध विभाग बदोंबस्त जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2041 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार मांग्या पुत्र गोमदा की जाति राजस्व रिकार्ड में कुम्हार दर्ज थी। खातेदार मांग्या वल्द गोविन्दा के फौत होने पर विरासत में दर्ज नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 01.02.1983 से वारिसान के रूप में मोत्या बेवा मांग्या, भरोष, गजानन्द पिसरान बदरी एवं छोटी बेवा बदरी हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सहवन से जाति कुम्हार के स्थान पर मीना दर्ज कर दी गई। जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है।अतःवादी का वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 88 वाके ग्राम चहींचा तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान की दर्ज जाति मीना शब्द को विलोपित कर उसके स्थान पर जाति कुम्हार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावे। साथ ही रिकार्ड में दर्ज सभी खातेदारान की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसानों की जांच कर वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.12.2021 को मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

PD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सापेरी

व इजलास श्री सुशान्त शर्मा R.A.S

1 रघुवीर पुत्र भरोष जाति कुम्हार निवासी कोयरखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी) - वादी

बनाम 1 - चमेलीबाई पत्नि भरोष जाति कुम्हार निवासी कोयरखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ (बून्दी) वगैरह - प्रतिवादीगण

P.T.O

दावा बाबत 88, 89, RTA 136 LR Act

मुकदमा नम्बर 18/दावा/21 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी

श्री आरिफ अली एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू पेशकार सरकार

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 खाता सं. 88 वाके ग्राम चाहिचा तहसील इन्द्रगढ़ के राजस्व रिकार्ड मे खातेदारान की दर्ज जाति मीना शब्द को विलोपित कर उसके स्थान पर जाति कुम्हार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। साथ ही रिकार्ड मे दर्ज सभी खातेदारान की मृत्यु होने जाने से उनके वारिसान की जांच कर वारिसानो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3-12-2021 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी

सापेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned with CamScanner

2. घनश्याम आत्मज भरोस जाति कुम्हार निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़

3. सुनिता पुत्री भरोस जाति कुम्हार —— " —— "

4. केलनबाई पत्नी भरोस जाति कुम्हार —— " —— "

5. सुमन पुत्री भरोस जाति कुम्हार —— " —— "

6. महावीर (ना.बा.) पुत्र भरोस जाति कुम्हार —— " —— "

7. हेमन्त कुमारी (ना.बा.) पुत्री भरोस जाति कुम्हार —— " —— "

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

Scanned with CamScanner